

हथियार दिखाकर लूट-डकेती और नकबजनी करने वाली गँग का सरगना पुलिस गिरफ्त में

पुलिस मुख्यालय की एंटी गँगस्टर टास्क फोर्स ने आरोपी को उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। एंटी गँगस्टर टास्क फोर्स (एंटीटीएफ) पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों को नोक पर लूट-डकेती और नकबजनी की वादात को अंजाम देने वाले कुछात अन्तर्राजीय गिरोह के सरगना घनश्याम उर्फ श्याम बाबरी (67) निवासी कादर चौक जिला बदायू (उत्तर प्रदेश) को पकड़ा है। पुराप्रतार बदाया डकेती के आठ साल पुराने मामले में पच्चीस हजार का इनामी है। जिसे टीम ने उसके गांव से दूरतयाव कर थाना गोठन नापौर को सुपुर्ग कर दिया है।

अतिरिक्त एक पुलिस महानिदेशक (एंटीटीएफ और अपराध) दिनेश एमपान ने बाबाया की गिरफ्तार गँगस्टर घनश्याम उर्फ श्याम बाबरी और इसके साथीयों ने साल 2016 में गोठन थाना क्षेत्र के जातान इंटीक्यावास में बाबाया की घटना को अंजाम दिया था। इके द्वारा की गई गोलीबारी में एक महिला व पुरुष गँभीर घायल हो गए थे।

मामले में गिरफ्तार सरगना घटना के तुक्त से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए गोठन



पुलिस मुख्यालय की एंटी गँगस्टर टास्क फोर्स ने शास्त्री लुटेरे को गिरफ्तार किया।

पुलिस द्वारा पच्चीस हजार का इनाम वार्षिक अन्तर्राजीय बाबरीया गिरोह का सरगना है। इसके विरुद्ध नापौर जिले के इसके विरुद्ध नापौर जिले के थाना गोठन, मेडला रिंटी एवं बिहार वालों में लूट-डकेती, नकबजनी के अलावा हत्या का प्रयास एवं आरोपी एक के

■ गिरफ्तार बदाया डकेती के आठ साल पुराने मामले में 25 हजार का इनामी है। आरोपी के खिलाफ लूट-डकेती, नकबजनी के एक दर्जन आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं।

■ यह गँग दिन के समय में कपड़े की फेरी लगाकर रैकी करते और रात के अंधेरे में हमला कर लूटपाट करते थे

अलावा स्थानों पर फैली कट रहा था। आरोपी से पूछाता कर रही है, जिसमें फरारी के दोरान गोठन की गई वादातों का खुलासा हो सकता है।

इनका गिरोह दिन में कपड़े बेचने के बहाने फेरी लगाकर मकान एवं बड़ानों की तरीके द्वारा विनियत करता रात के समय अवैध हथियारों के साथ धावा बोल वारदातों को अंजाम देते हैं। विरोध करने पर वे फारारिंग कर डारा धमका कर गंभीर तरीके से मारपीट करते हैं।

आरोपित घनश्याम उर्फ श्याम बाबरी अन्तर्राजीय बाबरीया गिरोह का सरगना है। इसके विरुद्ध नापौर जिले के थाना गोठन, मेडला रिंटी एवं बिहार वालों में लूट-डकेती, नकबजनी के अलावा हत्या का प्रयास एवं आरोपी एक के

ग्याह मुकदमे दर्ज हैं। गोठन पुलिस आरोपी से पूछाता कर रही है, जिसमें फरारी के दोरान गोठन की गई वादातों का खुलासा हो सकता है।

इनका गिरोह दिन में कपड़े बेचने के बहाने फेरी लगाकर मकान एवं बड़ानों की तरीके द्वारा विनियत करता रात के समय अवैध हथियारों के साथ धावा बोल वारदातों को अंजाम देते हैं। विरोध करने पर वे फारारिंग कर डारा धमका कर गंभीर तरीके से मारपीट करते हैं।

इस संपूर्ण कार्रवाई में एंटीटीएफ के उप निरीक्षक नंदें सिंह, एसएसई दुव्वंत सिंह, हेड कॉर्टेल शाहिद अली, कॉर्टेल रिंटी सिंह एवं महेंद्र सिंह की विशेष भूमिका तथा कॉर्टेल संघर्ष का तकनीकी सहायता रही।

बैठक में प्रोटेक्शन डिवाइस, राजमार्गों पर अनाधिकृत याकिन, रिफलेटिव ट्रैप इत्यादि नियमों के उल्लंघन के खिलाफ नियमित प्रवर्तन करता रही थी। जयपुर विकास प्राधिकरण और राजस्थान राज्य सड़क विकास के अधिकारियों को पिछली बैठक के बिन्दुओं की अनुपालन रिपोर्ट देश करने के लिए विभास किया गया है।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों और बर्मचारी संघ अध्यक्ष संजय सिंह शेखावत के उल्लंघन के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास किया गया है।

जयपुर। जिला कलक्टर विनियां सिंह, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, सार्वजनिक नियमणि विभाग, विकास विभाग संघर्ष विभागों के अधिकारियों को पिछली बैठक के लिए विभास क